न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 07/2021 बउनवानी प्रताप सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी– सब्जी मण्डी के पास खण्डार

GCMS No-2021/16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

17.02.2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 10.11.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. तहसील खण्डार के उन गांवो की सूची जिनमे सम्वत् 2075 फसल खरीफ में 7–8 फीट पानी भरा।
2. राज्य सरकार द्वारा फसल खरीफ की गिरदावरी का समय कब से कब तक है बताया जावे।
3. सम्वत्,2075 फसल खरीफ का जिंसवार की प्रत्येक पटवार मण्डल की छायाप्रति उपलब्ध करावे।
4. 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक की प्रत्येक पटवार मण्डल की दैनिक डायरी की नकल उपलब्ध करवायी जावे।
5. खण्डार तहसील मे वर्तमान में पटवार संघ उपशाखा अध्यक्ष कौन है नाम व फोन नम्बर उपलब्ध करवाया जावे।
6. फसल खरीफ सम्वत्,2075 मे बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा किसानो को दिलवाने में तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत कराया जावे।
7. 1अगस्त,2019 से 30 सितम्बर,2020 तक तहसील खण्डार में की गयी तरमीमो की प्रत्येक गांव वाईज नकल उपलब्ध करवायी जावे।
8. तहसीलदार खण्डार द्वारा खण्डार में तरमीम करने हेतु जारी किये गये आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के पत्रांक रीडर/2021/470 दिनांक 12.2.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2020 के बिन्दु संख्या 1,2,3,6,7,8 पर चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक एल.आर/21/203 दिनांक 11.2. 2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 4 पर चाही गयी सूचना पटवारीयान द्वारा अपनी डायरी कार्यालय मे जमा नही करवाने के कारण नही दी गयी है तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना कार्यालय मे नही होने के कारण दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया ।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.11.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 2,3,6,7,8 पर चाही गयी सूचना अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना तहसील कार्यालय [illegible] ना होकर पटवार संघ कार्यालय मे संधारित होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही [illegible] बिन्दु संख्या 4 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः तहसीलदार [illegible] निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 4 पर चाही गयी सूचना से संबंधित [illegible] से प्राप्त कर अपील[illegible] 15 दिवस मे सूचना उपलब्ध करवायीी जावे। उक्त निर्देश के [illegible] अपील अपीलान्ट का [illegible]रण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:44:01 IST
Reason: SelfAttested

Gk. 17/2/21

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर